भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

और

अदानी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

के बीच

सीएनएस/एटीएम समझौता

(यह सीएनएस/एटीएम समझौता दिनांक 14.02.2020 के सीएनएस रियायत समझौते का एक अभिन्न भाग है)

अनुसूची-क्यू

सीएनएस/एटीएम समझौता

(खंड 20.2.1 देखें)

विषय-सूची

अनुच्छेद / अनुसूची	विवरण	पृष्ठ
अनुच्छेद 1	परिभाषाएं और व्याख्या	2
अनुच्छेद 2	वैधता और अवधि	4
अनुच्छेद 3	प्रतिनिधित्व और वारंटी	5
अनुच्छेद 4	प्राधिकरण के दायित्व	5
अनुच्छेद 5	रियायतग्राही के दायित्व	7
अनुच्छेद 6	सुविधाओं और उपकरणों का विकास और विस्तार	8
अनुच्छेद 7	संयुक्त समन्वय समिति	10
अनुच्छेद 8	राजस्व और शुल्क	11
अनुच्छेद 9	क्षतिपूर्ति	12
अनुच्छेद 10	देयता	12
अनुच्छेद 11	अप्रत्याशित घटना (फ़ोर्स मेज्योर)	12
अनुच्छेद 12	समाप्ति	14
अनुच्छेद 13	असाइनमेंट / अंतरण	16
अनुच्छेद 14	विवाद निवारण	16
अनुच्छेद 15	बीमा	17
अनुच्छेद 16	नोटिस	17
अनुच्छेद 17	मानित सुपुर्दगी	17
अनुच्छेद 18	विविध	18
अनुच्छेद 19	लागू कानून	20
अनुच्छेद 20	एएआई द्वारा नियम व शर्तें	20
अनुसूची 1	एएआई उपकरण और रियायतग्राही उपकरण	22
अनुसूची 2	सीएनएस/एटीएम सेवाएं	23
अनुसूची 3	कार्यालय और सुविधाएं	24
अनुसूची 4	कार्व्ड आउट एरिया	25
अनुसूची 5	मौजूदा उपकरणों की सूची	26
अनुसूची 6	हवाईअड्डे पर सीएनएस-एटीएम उपकरणों का भविष्य का रोड मैप	27

जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सीएनएस/एटीएम (CNS/ATM) सेवाएं प्रदान करने हेतु यह समझौता (यह "समझौता") दिनांक **25 अगस्त, 2021** को नई दिल्ली में निम्नलिखित के बीच निष्पादित किया जाता है:

पक्षों के मध्य:

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 ("अधिनियम") के तहत स्थापित है, जिसका प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष करते हैं और जिसका प्रधान कार्यालय राजीव गांधी भवन, तीसरी मंजिल, सी-ब्लॉक, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली - 110 003, भारत में स्थित है (जिसे इसके बाद "प्राधिकरण" या "एएआई" कहा जाएगा) - **प्रथम पक्ष;**

तथा

अदानी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय अदानी कॉर्पोरेट हाउस, शांतिग्राम, एसजी हाईवे, अहमदाबाद - 382421, गुजरात, भारत में स्थित है (जिसे इसके बाद "रियायतग्राही" कहा जाएगा) - **द्वितीय पक्ष**।

"एएआई" और "रियायतग्राही" को संयुक्त रूप से "पक्षकार" और व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" कहा जाएगा।

प्रस्तावना

क. रियायतग्राही ने राजस्थान राज्य में स्थित जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए प्राधिकरण के साथ एक रियायत समझौता किया है।

ख. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के अनुसार, एएआई भारतीय हवाई क्षेत्र और भारत के सभी नागरिक हवाईअड्डों के भीतर वायु मार्ग दिक्चालन सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।

ग. उक्त अधिनियम के अनुसार, एएआई हवाईअड्डे पर इस समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों पर सेवाएं प्रदान करेगा।

1. परिभाषाएं और व्याख्या

1.1 परिभाषाएं (Definitions)

- "**एएआई विकास उपकरण**" **(AAI Development Equipment):** इसका अर्थ खंड 6.4 में निर्धारित परिभाषा से है।
- "**एएआई उपकरण**" **(AAI Equipment):** इसका अर्थ रियायतग्राही उपकरणों के अलावा उन सभी उपकरणों और सुविधाओं से है, जो एएआई को इस समझौते और प्रासंगिक आईसीएओ (ICAO) दस्तावेजों/अनुलग्नकों के अनुसार एएआई सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं।
- "**एएआई सेवाएं**" **(AAI Services):** इसका अर्थ खंड 4.1 में दिए गए अनुसार प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से है।
- "**एईआरए**" **(AERA):** इसका अर्थ एईआरए अधिनियम के तहत स्थापित भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण से है।
- "**प्रभावित पक्ष**" **(Affected Party):** इसका अर्थ खंड 11.1 में दिए गए अनुसार है।
- "**संबद्ध इकाई**" **(Affiliate):** इसका वही अर्थ होगा जो रियायत समझौते में दिया गया है।
- "**एयरफील्ड लाइटिंग प्रणाली**" **(Airfield Lighting System):** इसका अर्थ हवाईअड्डे पर रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और एप्रोच की प्रकाश प्रणालियों से है।
- "**हवाईअड्डा**" **(Airport):** इसका वही अर्थ होगा जो रियायत समझौते में दिया गया है।
- "**सीओडी**" **(COD):** इसका अर्थ रियायत समझौते में दी गई 'वाणिज्यिक संचालन तिथि' से है।
- "**शिकागो सम्मेलन**" **(Chicago Convention):** इसका वही अर्थ होगा जो रियायत समझौते में दिया गया है।
- "**सीएनएस/एटीएम शुल्क**" **(CNS/ATM Charges):** इसका अर्थ खंड 8.1 में दिए गए शुल्कों से है।
- "**सीएनएस/एटीएम उपकरण**" **(CNS/ATM Equipment):** इसका अर्थ सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक सभी उपकरणों और सुविधाओं से है, जिसमें रियायतग्राही उपकरण और एएआई उपकरण दोनों शामिल हैं।

- **"सीएनएस/एटीएम सेवाएं" (CNS/ATM Services):** इसका अर्थ एएआई द्वारा हवाईअड्डे पर प्रदान की जाने वाली संचार, दिक्चालन, निगरानी और हवाई यातायात प्रबंधन सेवाओं से है, जैसा कि अनुसूची 2 में वर्णित है।
- **"रियायत समझौता" (Concession Agreement):** इसका अर्थ प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच 19.01.2021 को निष्पादित रियायत समझौते से है।
- **"रियायतग्राही उपकरण" (Concessionaire Equipment):** इसका अर्थ अनुसूची 1 के भाग 1 में निर्धारित रियायतग्राही के उपकरणों और सुविधाओं से है।
- **"रियायतग्राही विकास उपकरण" (Concessionaire Development Equipment):** इसका अर्थ खंड 6.3.1 में निर्धारित परिभाषा से है।
- **"डीजीसीए" (DGCA):** इसका अर्थ नागर विमानन महानिदेशालय या उसके किसी स्थानापन्न से है।
- **"विवाद" (Dispute):** इसका अर्थ खंड 14.1 में दिए गए अनुसार है।
- **"विस्तार" (Expansion):** इसका अर्थ रियायत समझौते के अनुसरण में समय-समय पर रियायतग्राही द्वारा हवाईअड्डे की क्षमता में किए जाने वाले विस्तार से है।
- **"अंतिम सीएनएस/एटीएम विकास योजना" (Final CNS/ATM Development Plan):** इसका अर्थ खंड 6.2.1 में निर्धारित योजना से है।
- **"फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन" (Flight Information Region):** इसका अर्थ निर्धारित सीमाओं वाले उस हवाई क्षेत्र से है, जहां उड़ान सूचना सेवाएं और चेतावनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
- **"अप्रत्याशित घटना" (Force Majeure):** इसका अर्थ खंड 11.2 में निर्धारित परिभाषा से है।
- **"भारत सरकार" (GOI):** इसका अर्थ भारत सरकार और उसके किसी भी अधिकृत निकाय, प्राधिकरण, विभाग या नागर विमानन मंत्रालय के सीधे नियंत्रण वाले मंत्रालय से है।
- **"इंसिडेंट रिपोर्टिंग प्रोसीजर" (Incident Reporting Procedure):** इसका अर्थ घटनाओं और आपात स्थिति की रिपोर्टिंग के लिए एएआई और रियायतग्राही के बीच सहमत प्रक्रिया से है।
- **"क्षतिपूर्त पक्षकार" (Indemnified Party):** इसका अर्थ खंड 9.2 में दिए गए अनुसार है।
- **"क्षतिपूर्ति करने वाला पक्षकार" (Indemnifying Party):** इसका अर्थ खंड 9.2 में दिए गए अनुसार है।
- **"जेसीसी" (JCC):** इसका अर्थ खंड 7.1 में निर्धारित संयुक्त समन्वय समिति से है।
- **"ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रोसीजर" (Operating Reporting Procedure):** इसका अर्थ एएआई सेवाओं के दैनिक संचालन की जानकारी साझा करने के लिए सहमत प्रक्रिया से है।
- **"प्रारंभिक सीएनएस/ एटीएम विकास योजना" (Preliminary CNS/ ATM Development Plan):** इसका अर्थ खंड 6.1.2 में निर्धारित योजना से है।
- **"परियोजना" (Project):** इसका वही अर्थ होगा जो रियायत समझौते में दिया गया है।

- **"मार्ग दिक्चालन फैसिलिटीज प्रभार" (Route Navigation Facilities Charges):** इसका अर्थ एएआई द्वारा एयरलाइनों से वसूल किए जाने वाले मार्ग दिक्चालन शुल्क से है।
- **"टर्मिनल दिक्चालन लैंडिंग प्रभार" (Terminal Navigational Landing Charges):** इसका अर्थ एएआई द्वारा टर्मिनल दिक्चालन लैंडिंग सेवाओं के लिए वसूल किए जाने वाले शुल्क से है।

1.2 व्याख्या (Interpretation)

1.2.1 बड़े अक्षरों से शुरू होने वाले और इस समझौते में परिभाषित शब्दों का अर्थ वही होगा। गैर-परिभाषित शब्दों का अर्थ रियायत समझौते के अनुसार होगा।

1.2.2 इस समझौते की व्याख्या के लिए आधिकारिक भाषा **अंग्रेजी भाषा** होगी। सभी नोटिस और संचार अंग्रेजी भाषा में ही होंगे।

1.2.3 अनुच्छेदों, खंडों और अनुसूचियों के संदर्भ इस समझौते के ही संदर्भ माने जाएंगे।

1.2.4 रियायत समझौते के व्याख्या संबंधी नियम (खंड 1.2, 1.3 और 1.4) इस समझौते पर भी यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

2. वैधता और अवधि

2.1 इस समझौते के प्रावधान (अनुच्छेद 1, 16 से 20 को छोड़कर, जो तुरंत लागू होंगे) सीओडी (COD) की तारीख से प्रभावी होंगे।

2.2 यदि पूर्व-शर्तों (Conditions Precedent) की पूर्ति न होने के कारण रियायत समझौता समाप्त होता है, तो यह समझौता भी बिना किसी देयता के तुरंत समाप्त हो जाएगा।

2.3 यह समझौता रियायत समझौते के समाप्त होने या उसकी अवधि पूरी होने तक पूर्ण रूप से प्रभावी रहेगा।

3. प्रतिनिधित्व और वारंटी

रियायत समझौते के अनुच्छेद 7 में दिए गए प्रतिनिधित्व और वारंटी इस समझौते पर भी यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

4. प्राधिकरण के दायित्व

4.1 एएआई सेवाएं (AAI Services)

4.1.1 एएआई अपनी लागत पर 24 घंटे (मल्टी-शिफ्ट में) निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगा:

(क) अनुसूची 2 में निर्दिष्ट सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करना;

(ख) एएआई उपकरणों का रखरखाव और आवधिक उड़ान अंशांकन (flight calibration) तथा अन्य परीक्षण करना;

(ग) आईसीएओ, डीजीसीए और हवाईअड्डे के विस्तार की आवश्यकताओं के अनुसार एएआई उपकरणों को अपग्रेड/संवर्धित करना;

(घ) आवश्यक जनशक्ति तैनात करना।

4.1.2 विस्तार के कारणों से रियायतग्राही के अनुरोध पर एएआई अपने उपकरणों को स्थानांतरित (relocate) करेगा, जिसका खर्च रियायतग्राही वहन करेगा। एएआई अपने विवेक से भी उपकरण स्थानांतरित कर सकता है, बशर्ते इससे हवाईअड्डे का संचालन बाधित न हो।

4.1.3 एएआई सुरक्षित और सुचारू उड़ान संचालन की प्रक्रियाओं की समीक्षा और संशोधन करेगा।

4.1.4 एएआई रियायतग्राही को दैनिक, साप्ताहिक और मासिक हवाई यातायात आंकड़ों की जानकारी प्रदान करेगा।

4.1.5 एएआई सेवाओं में रुकावट या खराबी की स्थिति में नोटिस जारी करेगा और रिकॉर्ड रखेगा।

4.1.6 एएआई अपनी लागत पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) से मौसम संबंधी सेवाएं प्राप्त करेगा। रियायतग्राही बिना किसी शुल्क के मौसम विभाग के उपकरणों और कार्यालय के लिए स्थान और बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा।

4.1.7 एएआई सुरक्षित उड़ान संचालन के लिए आवश्यक सभी मैनुअल, चार्ट और प्रक्रियाएं तैयार व प्रकाशित करेगा।

4.2 एन-रूट एयर दिक्चालन / एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट सेवाएं

4.2.1 - 4.2.3 एएआई एन-रूट दिक्चालन और ट्रैफिक प्रवाह प्रबंधन के लिए अपने खर्च पर रडार, उपकरण और भवन स्थापित या स्थानांतरित कर सकता है।

4.2.4 ऐसे कार्यों के दौरान सामान्य हवाईअड्डा संचालन में बाधा न आए, इसका ध्यान रखा जाएगा।

4.2.5 एएआई यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सभी उपकरण सर्वोत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार संचालित और बनाए रखे जाएं।

4.3 सेवा के मानक (Standards of Service)

4.3.1 एएआई हमेशा आईसीएओ और डीजीसीए मानकों के अनुसार सेवाएं देगा और इसके लिए रियायतग्राही से कोई खर्च नहीं मांगेगा।

4.3.2 एएआई के कर्मी रियायतग्राही द्वारा शुरू किए गए गुणवत्ता सुधार उपायों में भाग लेंगे और अधिकतम विमान संचालन दर हासिल करने में मदद करेंगे।

4.4 गैर-हस्तक्षेप (Non-Interference)

एएआई और उसके कर्मचारी रियायतग्राही के दायित्वों के निष्पादन में कोई व्यवधान या हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जब तक कि एएआई सेवाएं प्रदान करने के लिए ऐसा करना अनिवार्य न हो।

5. रियायतग्राही के दायित्व

5.1 रियायतग्राही निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करेगा:

(क) रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और एप्रोच आईसीएओ और डीजीसीए मानकों के अनुसार निर्मित व बनाए रखे जाएं;

(ख) स्ट्रिप्स, शोल्डर, स्टॉपवे और रनवे एंड सेफ्टी एरिया (RESA) का निर्माण और रखरखाव मानकों के अनुसार हो;

(ग) परिचालन क्षेत्र को बाधाओं से मुक्त रखा जाए;

(घ) सीएनएस/एटीएम उपकरणों के संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बाधा मुक्त रखा जाए;

(ङ) उपयुक्त श्रेणी की अग्निशमन और बचाव सेवाएं उपलब्ध रखी जाएं;

(च) पक्षी और पशु उपद्रव रोकने की व्यवस्था की जाए;

(छ) आपातकालीन स्थितियों (जैसे विमान दुर्घटना, आग, बम की धमकी, अपहरण, उग्रवादी हमला, प्राकृतिक आपदा) से निपटने के लिए आकस्मिक (कंटिंजेंसी) व्यवस्थाएं हों;

(ज) एयर ट्रैफिक सर्विसेज कॉम्प्लेक्स को हवाईअड्डे की सभी आपातकालीन सेवाओं से जोड़ने के लिए इमरजेंसी अलार्म बेल लगाई जाएं;

(झ - ञ) एएआई कर्मियों को हवाईअड्डे के परिचालन क्षेत्रों तक पहुंच और आवश्यक जानकारी प्रदान की जाए;

(ट - ठ) लाइटिंग सिस्टम की विफलता, उपकरण अनुपलब्धता या रनवे पर बाधा की तुरंत रिपोर्ट की जाए और उपकरण बंद करने की सूचना एएआई को दी जाए;

(ड) विमानों के लिए पार्किंग बे और एयरोब्रिज का आवंटन किया जाए और एएआई को सूचित किया जाए।

5.2 रियायतग्राही अपनी लागत और खर्च पर:

(क) अनुसूची 3 के अनुसार एएआई कर्मियों को कार्यालय स्थान और सुविधाएं उपलब्ध कराएगा;

(ख) एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम और मुख्य/स्टैंडबाय बिजली आपूर्ति का रखरखाव करेगा;

(ग) एएआई के निर्देश पर रनवे या टैक्सीवे से बाधाओं को हटाएगा;

(घ) विस्तार के कारणों से आवश्यक होने पर एएआई उपकरणों को स्थानांतरित करेगा;

(ङ) एएआई उपकरणों और कार्यालयों के लिए दोहरे स्रोत वाली बिजली और उपयोगिता आपूर्ति प्रदान करेगा।

5.3 उपकरणों का अपग्रेडेशन

यदि रियायतग्राही मानक आवश्यकताओं से अधिक एएआई उपकरणों को अपग्रेड करने का अनुरोध करता है और जेसीसी इसे आवश्यक मानती है, तो एएआई अपनी लागत पर ऐसा अपग्रेडेशन करेगा।

6. सुविधाओं और उपकरणों का विकास और विस्तार

6.1 सुविधाओं और उपकरणों के विकास और विस्तार की योजना

6.1.1 एएआई (AAI) और रियायतग्राही (Concessionaire) हवाईअड्डे पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यातायात प्रवाह के आधार पर सीएनएस/एटीएम (CNS/ATM) सेवाओं की भविष्य की आवश्यकताओं का समय-समय पर मूल्यांकन करेंगे।

6.1.2 जिस तारीख को किसी पक्ष द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है कि सीएनएस/एटीएम उपकरण भविष्य की आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त हो जाएंगे, उसके कम से कम 24 (चौबीस) महीने पहले वह पक्ष आवश्यक विकास, उन्नयन (upgradation) और/या विस्तार के लिए एक योजना ("प्रारंभिक सीएनएस/एटीएम विकास योजना") प्रस्तुत कर

सकता है। इस प्रारंभिक सीएनएस/एटीएम विकास योजना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) अनुमानित यातायात प्रवाह पर सभी सहायक डेटा के साथ विश्लेषण;

(ii) एएआई सेवाओं और रियायतग्राही सेवाओं में वृद्धि की आवश्यकता;

(iii) प्रासंगिक आईसीएओ (ICAO) दस्तावेजों और अनुलग्नकों तथा डीजीसीए (DGCA) नागर विमानन आवश्यकताओं में निर्धारित आवश्यकताओं से अधिक अतिरिक्त सीएनएस/ एटीएम उपकरण या एएआई उपकरणों के उन्नयन की आवश्यकता;

(iv) सीएनएस/एटीएम उपकरणों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता;

(v) रियायतग्राही द्वारा एएआई और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (भारत सरकार) को निम्नलिखित के रूप में प्रदान किया जाने वाला बुनियादी ढांचा:

(क) उपकरण/यंत्र स्थापित करने के लिए परिचालन क्षेत्र में स्थान;

(ख) कार्यालय स्थापित करने के लिए स्थान;

(vi) एएआई के कर्मियों और एजेंटों के लिए आवश्यक अतिरिक्त कार्यालय स्थान/सुविधाएं।

6.2 सुविधाओं या उपकरणों के विकास, विस्तार और परिवर्तन को संभालने की प्रक्रिया

6.2.1 प्रारंभिक सीएनएस/एटीएम विकास योजना प्रस्तुत करने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, पक्षकार प्रारंभिक योजना पर चर्चा करने के लिए मिलेंगे और सीएनएस/एटीएम उपकरणों के विकास, उन्नयन और/या विस्तार के लिए तथा उसकी अनुसूची ("अंतिम सीएनएस/एटीएम विकास योजना") को अंतिम रूप देने के लिए सद्भावनापूर्वक प्रयास करेंगे। अंतिम सीएनएस/एटीएम विकास योजना को अंतिम रूप देने के संबंध में किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में, उसे खंड 7.3 के अनुसार जेसीसी (JCC) को भेजा जाएगा।

6.2.2 पक्षकार इस समझौते के तहत अपने संबंधित दायित्वों के अनुसार अंतिम सीएनएस/एटीएम विकास योजना द्वारा आवश्यक अतिरिक्त सुविधाओं, उपकरणों, जनशक्ति और उपयोगिता आपूर्ति (दोहरे आपूर्ति स्रोत के साथ बिजली की आपूर्ति सहित) को अपनी लागत पर प्रदान करेंगे।

6.3 रियायतग्राही के विकास दायित्व

6.3.1 रियायतग्राही, अंतिम सीएनएस/एटीएम विकास योजना की आवश्यकताओं के अनुसार, अपने स्वयं के खर्च पर, रियायतग्राही के दायरे में आने वाले अतिरिक्त उपकरणों और सुविधाओं (कार्यालय सुविधाओं सहित) को डिजाइन, निर्माण, स्थापित, परीक्षण, कमीशन और संचालित करेगा ("रियायतग्राही विकास उपकरण")।

6.3.2 यह स्पष्ट किया जाता है कि:

(i) एएआई किसी भी रियायतग्राही विकास उपकरण के परीक्षण और/या कमीशनिंग के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जो कि पूरी तरह से रियायतग्राही की जिम्मेदारी होगी;

(ii) एएआई, रियायतग्राही को रियायतग्राही विकास उपकरणों को कैलिब्रेट करने में सक्षम बनाने के लिए अंशांकन उड़ानों (calibration flights) में रियायतग्राही के साथ समन्वय करेगा;

(iii) रियायतग्राही विकास उपकरणों का स्वामित्व रियायतग्राही के पास रहेगा।

6.3.3 रियायतग्राही निम्नलिखित कार्य करेगा:

(i) एएआई विकास उपकरणों और रियायतग्राही विकास उपकरणों के बीच के इंटरफेस की पहचान एएआई को कराएगा;

(ii) एएआई और उसके कर्मियों, एजेंटों और वाहनों को हवाईअड्डे तक पहुंच और ऐसी जानकारी प्रदान करेगा जो एएआई सेवाओं को करने के लिए उचित रूप से आवश्यक हो;

(iii) एएआई को उस तारीख से कम से कम 60 (साठ) दिन पहले सूचित करेगा जिस दिन रियायतग्राही विकास उपकरणों को कमीशन किए जाने की उम्मीद है;

(iv) अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुसार अपने कार्यों की सुरक्षा और देखभाल के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

6.4 एएआई के विकास दायित्व एएआई निम्नलिखित कार्य करेगा:

(i) अंतिम सीएनएस/एटीएम विकास योजना की आवश्यकताओं के अनुसार अपने स्वयं के खर्च पर, एएआई के दायरे में आने वाले अतिरिक्त उपकरणों और सुविधाओं को डिजाइन, निर्माण, स्थापित, परीक्षण, कमीशन और संचालित करेगा ("एएआई विकास उपकरण");

(ii) यह सुनिश्चित करेगा कि एएआई विकास उपकरण उस तारीख से कम से कम 30 (तीस) दिन पहले कमीशन किए जाएं जिस तारीख को रियायतग्राही विकास उपकरण के कमीशन होने की उम्मीद है;

(iii) एएआई विकास उपकरण और रियायतग्राही विकास उपकरण के बीच समन्वय करेगा और अनुकूलता सुनिश्चित करेगा तथा इस संबंध में उपयुक्त इंटरफेसिंग सुनिश्चित करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि इसका खर्च रियायतग्राही द्वारा उठाया जाएगा;

(iv) रियायतग्राही के खर्च पर, रियायतग्राही विकास उपकरणों के किसी भी अंशांकन (calibration) और बेंचमार्क परीक्षण में भाग लेगा;

(v) यह सुनिश्चित करेगा कि एएआई विकास उपकरण प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों तथा डीजीसीए नागर विमानन आवश्यकताओं के अनुसार एएआई सेवाएं कर सकें;

(vi) एएआई विकास उपकरणों को एएआई द्वारा संचालित किसी भी प्रासंगिक एयर दिक्चालन और मौसम संबंधी उपकरणों और प्रणालियों के साथ एकीकृत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा;

(vii) एएआई विकास उपकरणों को कमीशन करने के लिए आवश्यक अंशांकन उड़ानें (calibration flights) चलाएगा और, जहां तक व्यावहारिक हो, रियायतग्राही को उसी समय रियायतग्राही विकास उपकरणों को कैलिब्रेट करने में सक्षम बनाने के लिए रियायतग्राही के साथ समन्वय करेगा। स्पष्टता के लिए, रियायतग्राही विकास उपकरणों को कैलिब्रेट करने के लिए रियायतग्राही द्वारा किए गए खर्च के लिए एएआई उत्तरदायी नहीं होगा। रियायतग्राही विकास उपकरणों को कैलिब्रेट करने के लिए एएआई द्वारा किए गए किसी भी खर्च की वसूली रियायतग्राही से की जाएगी;

(viii) अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुसार अपने कार्यों की सुरक्षा और देखभाल के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा।

7. संयुक्त समन्वय समिति

7.1 पक्षकार स्वीकार करते हैं कि इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन करने के लिए, प्रत्येक पक्ष को दूसरे के साथ समन्वय करने की आवश्यकता होगी, और इस प्रभाव के लिए पक्षकार सीओडी (COD) से 1 (एक) महीने से बाद में नहीं एक संयुक्त समन्वय समिति ("जेसीसी") स्थापित करने का वचन देते हैं और सहमत हैं। जेसीसी में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) इसमें 4 (चार) सदस्य होंगे, जिसमें प्रत्येक पक्ष 2 (दो) सदस्यों को नामित और नियुक्त करेगा; बशर्ते कि जेसीसी के सदस्य अपनी ओर से बैठकों में शामिल होने के लिए प्रॉक्सी को नामित/प्रस्तावित कर सकते हैं;

(ii) इसकी अध्यक्षता रियायतग्राही के नामित द्वारा की जाएगी;

(iii) यह महीने में कम से कम एक बार हवाईअड्डे पर बैठक करेगा।

7.2 यह माना जाएगा कि पक्षकारों ने जेसीसी द्वारा विचार किए जाने वाले सभी मामलों के संबंध में संबंधित पक्ष का प्रतिनिधित्व करने और उसे बाध्य करने के लिए जेसीसी के सदस्यों को पूर्ण अधिकार प्रत्याशित कर दिया है।

7.3 जेसीसी सीएनएस/एटीएम सेवाओं के संबंध में पक्षकारों की गतिविधियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार होगी, जिसमें इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद और मतभेद को हल करना शामिल है।

(i) यदि जेसीसी पक्षकारों के लिए संतोषजनक तरीके से किसी भी मामले पर निर्णय तक पहुंचने में असमर्थ है, तो कोई भी पक्ष रियायतग्राही के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और एएआई के अध्यक्ष के संयुक्त विचार-विमर्श के लिए ऐसे मामले को संदर्भित करने का हकदार होगा;

(ii) यदि उपरोक्त उप-खंड (i) के संदर्भ के 15 (पंद्रह) व्यावसायिक दिनों के भीतर मामले का समाधान नहीं होता है, तो कोई भी पक्ष अनुच्छेद 14 के तहत समाधान के लिए मामले को संदर्भित कर सकता है।

8. राजस्व और शुल्क

8.1 एएआई, एएआई सेवाएं प्रदान करने के प्रतिफल में, एयरलाइनों से सीधे रूट दिक्चालन फैसिलिटीज चार्जेज और टर्मिनल दिक्चालन लैंडिंग चार्जेज ("सीएनएस/एटीएम शुल्क") वसूल करने का हकदार होगा और रियायतग्राही ऐसे शुल्कों के संबंध में कोई दायित्व नहीं उठाएगा।

8.2 एएआई द्वारा सीएनएस/एटीएम शुल्क एकत्र करने में विफलता किसी भी तरह से या किसी भी रूप में एएआई को एएआई सेवाओं के प्रदर्शन से मुक्त नहीं करेगी।

8.3 यदि कोई व्यक्ति एएआई को सीएनएस/एटीएम शुल्क का भुगतान करने में चूक करता है, तो एएआई को ऐसे व्यक्ति को एएआई सेवाएं प्रदान नहीं करने और बकाया राशि वसूलने के लिए उचित समझे जाने वाले कदम उठाने का अधिकार होगा, और यह एएआई सेवाओं के प्रदर्शन में एएआई की ओर से चूक नहीं माना जाएगा।

8.4 इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार एएआई द्वारा सीधे तौर पर किए गए सभी लागत और खर्च, चाहे वे संचालन प्रकृति के हों या पूंजीगत प्रकृति के, सीएनएस/एटीएम सेवाओं और हवाईअड्डे पर या अन्यथा इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं के प्रावधान की दिशा में, उन शुल्कों के निर्धारण के लिए स्वीकार्य होंगे जो एएआई ऐसी सेवाओं के लिए लगा सकता है। एएआई द्वारा सीधे उठाए गए किसी भी लागत या खर्च की प्रतिपूर्ति रियायतग्राही द्वारा नहीं की जाएगी और न ही यह वैमानिकी शुल्क (Aeronautical Charges) के निर्धारण के लिए स्वीकार्य होगा जिसे रियायतग्राही द्वारा लगाया, एकत्र और विनियोजित किया जा सकता है।

8.5 इस समझौते के प्रावधान के अनुसार रियायतग्राही द्वारा सीधे तौर पर किए गए सभी लागत और खर्च, चाहे संचालन प्रकृति के हों या पूंजीगत प्रकृति के, एईआरए (AERA) द्वारा वैमानिकी शुल्क के निर्धारण के लिए स्वीकार्य होंगे, जिन्हें रियायतग्राही समझौते के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही द्वारा लगाया, एकत्र और विनियोजित किया जा सकता है। रियायतग्राही द्वारा सीधे उठाए गए किसी भी लागत या खर्च की प्रतिपूर्ति एएआई द्वारा नहीं की जाएगी, और न ही यह उन शुल्कों के निर्धारण के लिए स्वीकार्य होगा जिन्हें एएआई द्वारा लगाया, एकत्र और विनियोजित किया जा सकता है।

9. क्षतिपूर्ति

9.1 सामान्य क्षतिपूर्ति प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष और उसके ठेकेदारों, प्रिंसिपलों और एजेंटों को किसी भी और सभी भुगतानों के एवज में क्षतिपूर्ति करेगा, उनका बचाव करेगा और उन्हें सुरक्षित रखेगा, जो नुकसान, लागत, व्यय, दायित्व या क्षति के बराबर हैं जो पीड़ित पक्ष और उसके ठेकेदारों, प्रिंसिपलों और एजेंटों पर लगाए गए हैं या उनके द्वारा उठाए गए हैं, जो विफलता या देरी के कारण या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी भी पक्ष के दायित्वों के प्रदर्शन (चाहे अधिनियम द्वारा या चूक द्वारा) से उत्पन्न होने वाले तीसरे पक्ष के दावों के परिणामस्वरूप हैं (अप्रत्याशित घटना यानी फोर्स माजेरे की घटना को छूट दी गई है), जिसमें व्यक्तियों की मृत्यु या चोट के दावे या संपत्ति के नुकसान या क्षति के नुकसान के दावे शामिल हैं।

9.2 दावों की सूचना और विरोध यदि यहाँ किसी पक्ष को किसी तीसरे पक्ष से ऐसा दावा प्राप्त होता है जिसके संबंध में वह खंड 9.1 के तहत क्षतिपूर्ति का लाभ पाने का हकदार है या जिसके संबंध में वह प्रतिपूर्ति का हकदार है ("क्षतिपूर्त पक्षकार"), तो वह दावे की प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर यहाँ ऐसे दावे की क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार दूसरे पक्ष ("क्षतिपूर्ति करने वाला पक्षकार") को सूचित करेगा, और क्षतिपूर्ति करने वाला पक्षकार की पूर्व स्वीकृति के बिना दावे का निपटान या भुगतान नहीं करेगा, जिसे अनुचित रूप से रोका या विलंबित नहीं किया जाएगा। यदि क्षतिपूर्ति करने वाला पक्षकार दावे का विरोध या विवाद करना चाहता है, तो वह क्षतिपूर्त पक्षकार के नाम पर कार्यवाही कर सकता है और इसके विरोध में शामिल सभी खर्चों को उठाएगा। क्षतिपूर्त पक्षकार किसी भी दावे का विरोध करने में सभी सहयोग और सहायता प्रदान करेगा और ऐसे सभी लेख और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेगा जिनकी क्षतिपूर्ति करने वाला पक्षकार उचित रूप से अपेक्षा कर सकता है।

10. दायित्व

10.1 पक्षकारों का इरादा है कि इस समझौते में निहित अधिकार, दायित्व और देयताएं इस समझौते से उत्पन्न होने वाले या इसके संबंध में पक्षकारों के अधिकारों, दायित्वों और देयताओं का एक संपूर्ण विवरण होंगी। तदनुसार, इस समझौते में स्पष्ट रूप से बताए गए उपाय और इसके अनुसरण में दर्ज कोई भी दस्तावेज इस समझौते से उत्पन्न होने या इसके संबंध में एक-दूसरे के प्रति देयताओं के लिए पक्षकारों के एकमात्र और अनन्य उपाय होंगे, जिसमें इसके संबंध में दी गई कोई भी प्रतिनिधित्व, वारंटी या वचन शामिल है, कानून या साम्य (equity) में अन्यथा उपलब्ध किसी भी उपाय के बावजूद। एएआई सेवाओं के प्रावधान के संबंध में प्राधिकरण का दायित्व प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता से समय के आउटेज और/या गिरावट की अवधि के अनुरूप टर्मिनल दिक्चालन ल लैंडिंग शुल्क तक सीमित होगा।

11. अप्रत्याशित घटना

11.1 अप्रत्याशित घटना अनुच्छेद 11 तब लागू होगा जब इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के किसी भी पक्ष ("प्रभावित पक्ष") द्वारा प्रदर्शन को अप्रत्याशित घटना (Force Majeure) के कारण पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से रोका जाता है, बाधित किया जाता है या विलंब किया जाता है।

11.2 अप्रत्याशित घटना की परिभाषा

11.2.1 इस समझौते में, "अप्रत्याशित घटना" का अर्थ किसी भी अधिनियम, घटना या परिस्थिति या कृत्यों, घटनाओं और परिस्थितियों के संयोजन से है, जिसमें इस खंड 11.2 में उल्लिखित वे शामिल हैं, जो प्रभावित पक्ष के उचित नियंत्रण से परे हैं और जिन्हें प्रभावित पक्ष अच्छी उद्योग प्रथाओं द्वारा या किसी भी सुविधा के निर्माण के संबंध में उचित कौशल और देखभाल के अभ्यास से रोक नहीं सकता था, और जो, या जिनका कोई भी परिणाम, इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के किसी भी पक्ष द्वारा प्रदर्शन को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से रोकता है, बाधित करता है या विलंब करता है।

11.2.2 "अप्रत्याशित घटना" में निम्नलिखित घटनाएं और परिस्थितियां शामिल हैं जहां तक कि वे, या उनके परिणाम, उपर्युक्त आवश्यकताओं को पूरा करते हैं:

(क) निम्नलिखित प्रकार के कृत्य, घटनाएं या परिस्थितियां:

(i) भारत के भीतर काम के निष्पादन या भारत के भीतर वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर नियोजित किसी भी पक्ष या उसके ठेकेदारों, या उनके संबंधित उप-ठेकेदारों, सेवकों या एजेंटों से जुड़ी हड़तालें, तालाबंदी या अन्य औद्योगिक कार्रवाई या श्रम विवाद;

(ii) बिजली गिरना, भूकंप, आंधी, चक्रवात, हरिकेन, बवंडर, आंधी, बाढ़, भूस्खलन, मृदा अपरदन, धंसाव, सूखा या पानी की कमी और अन्य असामान्य या अत्यधिक प्रतिकूल मौसम या पर्यावरणीय स्थितियां या तत्वों की कार्रवाई, उल्कापिंड या विमान या अन्य हवाई उपकरणों से गिरने वाली वस्तुएं, सुपरसोनिक गति से यात्रा करने वाले विमान या अन्य हवाई उपकरणों के कारण उत्पन्न दबाव तरंगों की घटना, आग, विस्फोट, रासायनिक या रेडियोधर्मी संदूषण या आयनकारी विकिरण, उन परिस्थितियों को छोड़कर जहां विस्फोट या संदूषण या विकिरण का स्रोत या कारण प्रभावित पक्ष द्वारा या प्रभावित पक्ष द्वारा नियोजित या लगे लोगों द्वारा साइट पर या उसके पास लाया गया है या लाया गया था जब तक कि यह निर्माण के लिए आवश्यक नहीं था या नहीं है;

(iii) किसी भी माध्यम से पारगमन के दौरान कार्गो का कोई भी आकस्मिक नुकसान या क्षति जो हवाईअड्डे में शामिल करने के लिए अभिप्रेत है, जो सीओडी से पहले होता है;

(iv) हवाईअड्डे को नुकसान या गंभीर आकस्मिक क्षति;

(v) महामारी;

(vi) युद्ध का कार्य (चाहे घोषित हो या अघोषित), आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी दुश्मन का कार्य, नाकाबंदी, प्रतिबंध, क्रांति, दंगा, बम या नागरिक अशांति;

(vii) तोड़फोड़, आतंकवाद या ऐसे कृत्यों की धमकी;

(viii) दैवयोग (Act of God);

(ix) पूर्वगामी के समान प्रकृति का कोई भी कृत्य, घटना या परिस्थिति।

(ख) बशर्ते कि निम्नलिखित में से कोई भी मामला या उनके परिणाम अप्रत्याशित घटना का गठन या कारण बनने में सक्षम नहीं होंगे:

(i) कोई भी भुगतान करने में विफलता या असमर्थता;

(ii) बाजार की स्थिति के प्रभाव जब तक कि ऐसी बाजार स्थिति स्वयं अप्रत्याशित घटना की घटना के कारण या परिणाम नहीं थीं।

(ग) और इसके अलावा बशर्ते कि उपर्युक्त खंड 11.2.2(क) में संदर्भित एक कृत्य, घटना या परिस्थिति जो मुख्य रूप से हवाईअड्डे के किसी तीसरे पक्ष या तीसरे पक्ष (निर्माण ठेकेदार या ऑपरेटरों सहित, बिना किसी सीमा के), किसी पक्ष के सहयोगी या किसी पक्ष या उसके सहयोगी के उप-ठेकेदारों को प्रभावित करती है और जो किसी पक्ष को उसके दायित्वों के प्रदर्शन में रोकती है, बाधा डालती है या विलंब करती है, ऐसे पक्ष के रूप में यहाँ अप्रत्याशित घटना का गठन करेगी यदि और उस सीमा तक कि यह एक ऐसे प्रकार या चरित्र की है कि, यदि यह इस खंड पर भरोसा करने के इच्छुक पक्ष के साथ हुआ होता, तो इस खंड के तहत अप्रत्याशित घटना की परिभाषा के भीतर आ गया होता।

11.3 अप्रत्याशित घटना के परिणाम

11.3.1 प्रदर्शन दायित्व: प्रभावित पक्ष इस समझौते के तहत या इसके अनुसरण में किसी भी दायित्व का पालन करने में किसी भी विफलता, या पालन करने में देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और उसे अपने दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होगी जिस सीमा तक ऐसी विफलता या देरी सीधे तौर पर अप्रत्याशित घटना की किसी भी घटना के कारण हुई है और विशेष रूप से, बिना किसी सीमा के, ऐसे किसी भी दायित्व के प्रदर्शन के लिए अनुमति दिया गया समय तदनुसार बढ़ाया जाएगा।

11.3.2 अधिसूचना: यदि प्रभावित पक्ष यह दावा करता है कि उसे अप्रत्याशित घटना की किसी भी घटना के कारण इस समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने से रोका गया है, तो वह दूसरे पक्ष को सूचित करेगा जैसे ही...

11.3.3 शमन:

प्रभावित पक्ष 'फोर्स मेज्योर' (अप्रत्याशित घटना) के असर को कम करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा।

12. समाप्ति

12.1 रियायतग्राही की चूक की स्थितियां प्राधिकरण रियायतग्राही को समाप्ति का नोटिस जारी करने का हकदार होगा, यदि:

(i) रियायतग्राही इस समझौते के तहत प्राधिकरण को देय किसी भी राशि का भुगतान नियत तिथि पर करने में विफल रहता है और ऐसी विफलता प्राधिकरण से नोटिस प्राप्त होने के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर ठीक नहीं की जाती है;

(ii) रियायतग्राही के परिसमापन, दिवालियापन या विघटन के लिए कोई आदेश दिया जाता है या कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसे 90 (नब्बे) दिनों के भीतर रद्द या वापस नहीं लिया जाता है;

(iii) रियायतग्राही इस समझौते के किसी अन्य दायित्व (धन भुगतान के अलावा) का पालन करने में विफल रहता है, जिससे प्राधिकरण के अधिकारों और दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और नोटिस प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर उसे ठीक नहीं किया जाता है; बशर्ते कि यदि भारत सरकार, असम सरकार या प्राधिकरण द्वारा समय पर की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई में बाधा डाली गई हो, तो प्राधिकरण ऐसा समाप्ति नोटिस जारी करने का हकदार नहीं होगा।

12.2 प्राधिकरण की चूक की स्थितियां लागू कानूनों द्वारा रियायतग्राही को सीएनएस/एटीएम सेवाएं देने की अनुमति मिलने की स्थिति में, रियायत समझौते में उपयुक्त संशोधन के अधीन, रियायतग्राही प्राधिकरण को समाप्ति का नोटिस जारी करने का हकदार होगा।

12.3 समाप्ति नोटिस का प्रभाव यदि किसी पक्ष द्वारा समाप्ति नोटिस दिया जाता है, तो नोटिस की तारीख से 90 (नब्बे) दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद, यदि कारणों को पूरी तरह ठीक नहीं किया गया है, तो नोटिस जारी करने वाला पक्ष तुरंत प्रभाव से इस समझौते को समाप्त कर सकता है।

समाप्ति के परिणाम

12.4.1 यदि यह समझौता रियायतग्राही द्वारा समाप्त किया जाता है, तो हवाईअड्डे के संचालन को प्रभावित होने से बचाने के लिए, प्राधिकरण तुरंत अपनी सभी सामग्री, उपकरण, नियमावली और चार्ट भारत सरकार को सौंप देगा, ताकि भारत सरकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 38 के अनुसार कार्य कर सके।

12.4.2 रियायतग्राही भारत सरकार से परामर्श करके किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से सेवाएं प्राप्त करने के लिए उचित कदम उठा सकता है।

12.4.3 इस खंड के प्रावधान किसी भी पक्ष के अधिकारों या उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

13. अधिकार हस्तांतरण (असाइनमेंट)

13.1 प्राधिकरण द्वारा हस्तांतरण

प्राधिकरण रियायतग्राही की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस समझौते के तहत अपने अधिकारों या दायित्वों को किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं करेगा, जब तक कि ऐसा हस्तांतरण किसी कानून के लागू होने के कारण न हो।

13.2 रियायतग्राही द्वारा हस्तांतरण

रियायतग्राही प्राधिकरण की पूर्व लिखित सहमति के बिना अपने अधिकारों या दायित्वों को हस्तांतरित नहीं करेगा; हालांकि, पूर्व लिखित सूचना देकर रियायतग्राही निम्नलिखित मामलों में हस्तांतरण कर सकता है:

(i) अपनी संबद्ध संस्था (एफिलिएट) को;
(ii) अपने स्वामित्व हितों के खरीदार को;
(iii) ऋणदाताओं को सुरक्षा के रूप में;
(iv) रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार भारत सरकार को।

14. विवाद निवारण

14.1 बातचीत और सुलह

पक्षकार इस समझौते से उत्पन्न किसी भी विवाद या मतभेद को आपस में बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करेंगे।

14.2 मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर) को संदर्भ

यदि 60 (साठ) दिनों के भीतर बातचीत से विवाद नहीं सुलझता है, तो मामला (भारतीय) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और यूएनसीआईटीआरएएल (UNCITRAL) नियमों के अनुसार नियुक्त एकल मध्यस्थ द्वारा तय किया जाएगा।

14.3 मध्यस्थता का स्थान

मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा। मध्यस्थता की भाषा हिंदी/अंग्रेजी होगी और कोई भी मध्यस्थ पक्षकारों का वर्तमान या पूर्व कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार नहीं होगा।

14.4 निर्णय / निर्णय की बाध्यता

एकल मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा।

15. बीमा

15.1 बीमा का रखरखाव

प्राधिकरण अपनी संपत्ति के नुकसान, तीसरे पक्ष के दायित्व और कर्मचारियों के मुआवजे को कवर करने के लिए अपनी लागत पर आवश्यक बीमा बनाए रखेगा।

15.2 बीमा नीतियां

प्राधिकरण बीमा प्रमाणपत्र प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर रियायतग्राही को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराएगा। कोई भी बीमा कम से कम 45 (पैंतालीस) दिनों की पूर्व सूचना के बिना रद्द या समाप्त नहीं किया जाएगा।

15.3 बीमा न कराने पर उपचार

यदि प्राधिकरण बीमा कराने में विफल रहता है, तो रियायतग्राही के पास बीमा बनाए रखने, प्रीमियम का भुगतान करने और प्राधिकरण से लागत वसूलने का विकल्प होगा।

15.4 बीमा राशि का उपयोग

प्राधिकरण को प्राप्त बीमा दावों की राशि का उपयोग क्षतिग्रस्त संपत्ति के पुनर्निर्माण के लिए किया जाएगा।

16. सूचनाएं (नोटिस)

16.1 लिखित संचार

सभी नोटिस या संचार लिखित रूप में होंगे और व्यक्तिगत रूप से, कूरियर द्वारा, पंजीकृत डाक द्वारा, या ई-मेल/फैक्स द्वारा भेजे जाएंगे।

16.2 पते

रियायतग्राही: अदानी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड
ई-मेल: cao.jaipurairport@adani.com
ध्यानार्थ: मुख्य हवाई अड्डा अधिकारी

प्राधिकरण (AAI): राजीव गांधी भवन, तीसरी मंजिल, सी-ब्लॉक, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली - 110 003
फैक्स: 011 24641088
ई-मेल: chairman@aai.aero
ध्यानार्थ: अध्यक्ष

17. प्राप्त माना जाना (डीम्ड डिलीवरी)

इस एग्रीमेंट में दी गई दूसरी शर्तों के अलावा, इस एग्रीमेंट के तहत या इसके अनुसार कोई भी बातचीत या सूचना पाने वाले को तब मिली हुई मानी जाएगी (अगर फैक्स से भेजी गई हो) जब वह उस जगह पर अगले कामकाजी दिन (वर्किंग डे) पहुंचेगी जहां से उसे भेजा गया था, या (किसी और मामले में) जब उसे क्लॉज़ 16.2 के तहत ज़रूरी पते पर छोड़ा जाएगा, या रजिस्टर्ड पोस्ट (जिसका डाक शुल्क पहले ही चुका दिया गया हो) से उस पते पर भेजे जाने के बाद 10 (दस) कामकाजी दिनों के भीतर मिलेगी। इन उद्देश्यों के लिए, कामकाजी दिनों का मतलब शनिवार, रविवार और सरकारी छुट्टियों (गजेटेड हॉलिडे) के अलावा अन्य दिनों से है। ऊपर बताई गई बातों पर असर डाले बिना, जो पार्टी फैक्स या ईमेल से कोई नोटिस या सूचना देती है, उसे तुरंत उसकी एक कॉपी खुद जाकर देनी होगी, या कूरियर या रजिस्टर्ड पोस्ट से उस नोटिस या सूचना के पते पर भेजनी होगी।

18. विविध

18.1 विभाज्यता (सेवरेबिलिटी) :

यदि इस समझौते का कोई प्रावधान अमान्य या गैर-कानूनी घोषित होता है, तो शेष प्रावधानों की वैधता प्रभावित नहीं होगी।

18.2 पूर्ण समझौता:

यह समझौता इस विषय पर पक्षकारों के बीच हुए सभी पूर्व समझौतों या बातचीत का स्थान लेता है।

18.3 शर्तों में बदलाव:

समझौते में कोई भी संशोधन लिखित रूप में और दोनों पक्षकारों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही प्रभावी होगा।

18.4 अधिकार त्याग (वेवर) :

किसी भी उल्लंघन की अनदेखी को भविष्य के उल्लंघनों के अधिकार त्याग के रूप में नहीं माना जाएगा जब तक कि वह लिखित रूप में न हो।

18.5 अतिरिक्त दस्तावेज और कार्रवाई:

पक्षकार समझौते के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और सहयोग करने के लिए सहमत हैं।

18.6 विलंब भुगतान पर ब्याज:

नियत तिथि के बाद बकाया किसी भी राशि पर भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रचलित प्राइम लैंडिंग दर से 2 (दो) प्रतिशत अंक अधिक की दर से ब्याज लगेगा।

18.7 कोई साझेदारी नहीं:

यह समझौता पक्षकारों के बीच किसी भी प्रकार की साझेदारी का निर्माण नहीं करता है।

18.8 तीसरे पक्ष का लाभार्थी न होना:

यह समझौता केवल दोनों पक्षकारों के लाभ के लिए है।

18.9 जीवित रहने वाले प्रावधान (सर्वाइवल) :

समझौते की समाप्ति के बाद भी जीवित रहने वाले दायित्व समाप्ति की तारीख से 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेंगे।

18.10 उत्तराधिकारी और हस्तांतरित व्यक्ति:

यह समझौता पक्षकारों और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों पर बाध्यकारी होगा।

18.11 प्रतिलिपि (काउंटरपार्ट्स) :

यह समझौता एक या अधिक प्रतियों में निष्पादित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक को मूल माना जाएगा।

18.12 समय का महत्व:

इस समझौते में उल्लिखित समय सीमा का पालन करना अनिवार्य है।

18.13 समय की गणना:

सभी संदर्भित समय भारतीय मानक समय (IST) के अनुसार होंगे।

19. शासी कानून

यह समझौता भारत के कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्यायित होगा, और नई दिल्ली के न्यायालयों के पास इससे उत्पन्न होने वाले सभी मामलों पर क्षेत्राधिकार होगा।

20. प्राधिकरण द्वारा प्रतिज्ञाएं

प्राधिकरण बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से

i. सहमति व्यक्त करता है कि किसी भी कानूनी कार्यवाही में वह अपनी संपत्ति या स्वयं के लिए किसी भी प्रकार की छूट (इम्युनिटी) का दावा नहीं करेगा।

जिसके साक्ष्य के रूप में पक्षकारों ने ऊपर लिखी तारीख को इस समझौते को निष्पादित और वितरित किया है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से हस्ताक्षरित

(एस स्वामिनाथन)

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
राजीव गांधी भवन
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली - 110003

रियायतग्राही की ओर से हस्ताक्षरित

(परीक्षित कौल)
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
नेशनल काउंसिल ऑफ वाईएमसीए ऑफ इंडिया
भारत युवक भवन
1, जय सिंह रोड
नई दिल्ली-110001
अदानी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

अनुसूची 1: एएआई उपकरण और रियायतग्राही उपकरण
भाग 1: रियायतग्राही उपकरण

- रनवे प्रकाश व्यवस्था और अंकन
- टैक्सीवे प्रकाश व्यवस्था और अंकन
- संकेत (साइनबोर्ड)
- एप्रन प्रकाश व्यवस्था और अंकन
- एएआई उपकरणों से संबंधित नागरिक कार्य (केवल नींव)
- पीएपीआई (PAPI) और एप्रोच प्रकाश व्यवस्था
- एरोड्रोम बीकन (टावर पर)
- लैंडिंग दिवस और रात्रि अंकन
- पवन दिशा सूचक (प्रकाशित)
- एएआई और हवाई अड्डा अग्निशमन दल के बीच हॉट लाइन
- क्रैश बेल, केबल बिछाना और सायरन

- एयरफील्ड प्रकाश व्यवस्था / दृश्य साधनों के लिए नियंत्रण कक्ष और निगरानी प्रणाली (भविष्य के लिए)
- हवाई अड्डा दिक्चालन साधनों / रडार स्थल के पहुंच मार्गों के अलावा परिचालन क्षेत्र के पहुंच मार्ग
- दिक्चालन ल साधनों / रडार प्रतिष्ठानों के लिए भवन
- प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों के अनुसार सिग्नल क्षेत्र
- अंतिम सीएनएस/एटीएम विकास योजना के अनुसार निर्मित नया हवाई यातायात सेवा परिसर (जिसमें नियंत्रण टावर, तकनीकी ब्लॉक, स्थल पर और/या स्थल से बाहर दिक्चालन साधनों/रडार के लिए भवन शामिल होंगे)

भाग 2: एएआई उपकरण एएआई प्रस्तावित विमान संचालन के लिए प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों के अनुसार सीएनएस-एटीएम सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक उपकरण खरीदेगा और उपलब्ध कराएगा। ऐसे उपकरणों में निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगा:

- सामान/सहायक उपकरणों के साथ वीएचएफ संचार सेट
- डीवीओआर/डीएमई या एनडीबी
- वॉयस रिकॉर्डर
- आईएलएस उपकरण और उसके सहायक उपकरण
- रडार और उसके सहायक उपकरण
- एडीएस-बी और उसके सहायक उपकरण
- ए-एसएमजीसीएस और सहायक उपकरण

अनुसूची 2: सीएनएस/एटीएम सेवाएं

एएआई ऐसे हवाई क्षेत्र की पार्श्व और ऊर्ध्वाधर सीमाओं के भीतर हवाई क्षेत्र के विन्यास के अनुसार हवाईअड्डे पर निम्नलिखित सेवाएं प्रदान और समन्वित करेगा:

- एरोड्रोम नियंत्रण सेवा, जिसमें सतह आंदोलन नियंत्रण या जमीनी नियंत्रण शामिल है, लेकिन एप्रन नियंत्रण सेवा शामिल नहीं है;
- एप्रोच नियंत्रण/एप्रोच रडार नियंत्रण सेवा (यदि योजनाबद्ध हो);
- क्षेत्र नियंत्रण/क्षेत्र रडार नियंत्रण सेवा (यदि योजनाबद्ध हो);
- संबद्ध सेवाएं जैसे वैमानिकी मोबाइल सेवा (एएमएस), वैमानिकी फिक्स्ड सेवाएं (एएफएस), वैमानिकी सूचना सेवा (एआईएस), उड़ान सूचना सेवा, सलाहकार सेवा, चेतावनी सेवा और खोज एवं बचाव समन्वय सेवाएं आवश्यकतानुसार, यह सब प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों के अनुसार तथा प्रस्तावित विमान संचालन के लिए आवश्यक होगा।

अनुसूची 3: कार्यालय और सुविधाएं

रियायतग्राही एएआई और उसके कर्मियों तथा एजेंटों को एएआई सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कार्यालय स्थान और सुविधाएं (वातानुकूलन (जिसमें नियंत्रण टावर में आंशिक वातानुकूलन शामिल है), बिजली और पानी की निरंतर आपूर्ति और हाउस-कीपिंग के प्रावधान के साथ) उपलब्ध कराएगा:

- **नियंत्रण टावर**: रियायतग्राही आवश्यकता के अनुसार विभिन्न एटीएस इकाइयों, दिक्चालन साधनों और रडार भवन को रखने के लिए 1,650 वर्ग मीटर (यथा लागू) का क्षेत्र, तकनीकी ब्लॉक उपलब्ध कराएगा।
- **कार्यालय**: रियायतग्राही 1,200 वर्ग मीटर का क्षेत्र उपलब्ध कराएगा।
- **कार पार्किंग**: रियायतग्राही एएआई को उसके कर्मियों और एजेंटों के उपयोग के लिए हवाईअड्डे पर 10 कार पार्किंग स्थान उपलब्ध कराएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि वातानुकूलन, बिजली और पानी की निरंतर आपूर्ति और हाउस-कीपिंग का प्रावधान रियायतग्राही की अपनी लागत और खर्च पर प्रदान किया जाएगा।

अनुसूची 4: पृथक किए गए क्षेत्र (कार्व्ड आउट एरिया)

क्रम संख्या	**परिसंपत्ति**	**भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में लगभग)**
1.	एटीसी टावर	6,465
2.	सीएनएस/एटीएम/कर्मचारी आवास के लिए भविष्य की भूमि आवश्यकताएं	4,225 (रडार के लिए) 8,092 (एएआई क्वार्टर के लिए)
3.	**कुल योग**	**18,782 वर्ग मीटर**

अनुसूची 5: मौजूदा उपकरणों की सूची

1. लोकलाइजर
2. डीवीओआ
3. ग्लाइड पाथ
4. एसएमआर

अनुसूची 6: हवाईअड्डे पर सीएनएस-एटीएम उपकरणों की भविष्य की रूपरेखा

1. सीएनएस / एटीएम / कर्मचारी आवास के लिए भविष्य की भूमि की आवश्यकता

क. रडार के लिए 4225 वर्ग मीटर

ख. एएआई क्वार्टर के लिए 8092 वर्ग मीटर

******